न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 22 / 2022 तारीख रजू:– 29.07.2022

जी.सी.एम.एस. नं0– 2022 / 123

पीठासीन अधिकारी :– दामोदर सिंह (आर.ए.एस.)

1. श्रीमति संतोष पत्नि कमलेश मीना, निवासी झोपड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
2. श्रीमति अन्टी पत्नि मुकेश मीना, निवासी झोपड़ा तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
3. श्रीमति अनिता पत्नि हनुमान मीना निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर।
4. श्रीमति सफेदी पत्नि राजेश मीना, निवासी बनोटा, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
5. श्रीमति मुकरानी पत्नि अमर सिंह मीना, निवासी नींदड़दा, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा

बनाम

1. श्रीया पुत्र गोपाल मीना निवासी शेरसिंहपुर, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. ममता पत्नि रमेश मीना, निवासी ठेकड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
3. गुड्डी पत्नि पप्पू मीना निवासी बनोटा, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. उषा पत्नि सियाराम मीना, निवासी नयागांव, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
5. तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित:–

1. वकील प्रार्थी गण–श्री लोकेश [illegible]
2. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4– श्री [illegible] एडवोकेट एवं श्री [illegible] यादव, एडवोकेट।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय दिनांक:– 23.12.2024

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट

–: निर्णय :–

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य है, जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

गोपाल
↓
श्योजी
↓

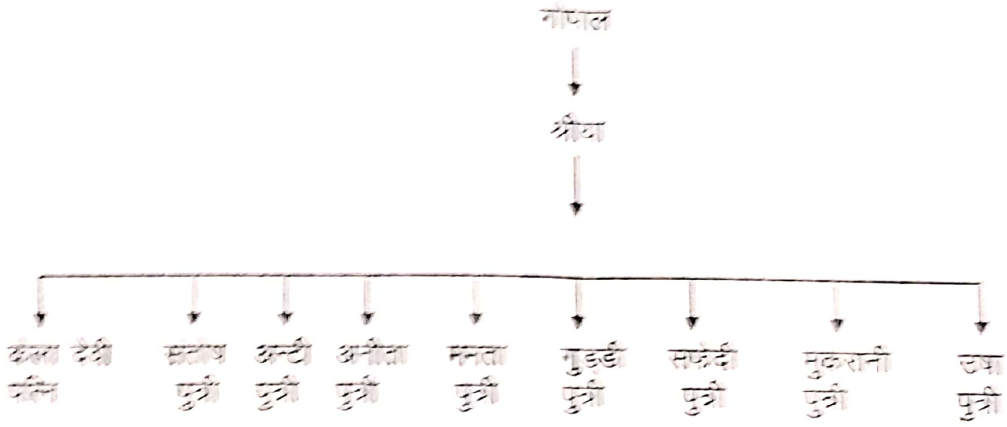

केसर देवी	संतोष	अन्टी	अनीता	ममता	गुड्डी	सफेदी	नुकरानी	उषा
पत्नि	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री	पुत्री

प्रार्थीयान और अप्रार्थीगण 2, 3, 4 आपस में सगी बहिन है। सभी की शादी हो चुकी है। पक्षकारान में कोई भाई नहीं है, अर्थात अप्रार्थी संख्या एक के कोई संतान नहीं है। ग्राम शेरसिंहपुरा के खाता संख्या 148 पुराना खाता संख्या 137 की आराजीयात कुल खसरा नंबर 23 कुल रकबा 5.8200 है0 पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या एक के नाम खातेदारी में दर्ज है। पूर्व में उक्त आराजीयात गोपाल के नाम अंकित थी। प्रार्थीया अनीता जन्म से गूंगी बहरी है। विवाह के समय अप्रार्थी संख्या एक ने अपनी आराजीयात में से 3 बीघा प्रथम कन्या को दान में दी है। एवं प्रार्थीया एक हाथ पंजे नहीं होने से विकलांग है। उसके विवाह में 2 बीघा जमीन कन्यादान में दी है। दोनों प्रार्थीया को अप्रार्थी संख्या 1 फसल का हिस्सा देता रहा है। ग्राम शेरसिंहपुरा, तहसील चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर के खाता संख्या 148 में दर्ज आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थीयान एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 सभी का हिस्सा 1/9–1/9 के हिस्सेदार हैं। प्रतिवादी संख्या एक के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उसे किसी भी लड़के को गोद लेने का अधिकार है, परन्तु उक्त आराजीयात में उसका हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का प्राप्त हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का प्राप्त हिस्सा 1/9 ही होगा, उससे अधिक हिस्सा नहीं है। ग्राम शेरसिंहपुरा तहसील चौथ का बरवाड़ा के खाते 149 की आराजी में से अपना हिस्सा 1/9 का हिस्सेदार होने की घोषणा प्राप्त करने का हक हासिल है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 3 गुड्डी देवी के छोटे पुत्र को गोद लेने की कानूनी कार्यवाही की रीति रिवाज के अनुसार कोई रिवाजों की पूर्ति नहीं की है। प्रतिवादी संख्या एक को किसी को भी गोद लेने का हक है, परन्तु खाता संख्या [illegible] की सम्पूर्ण आराजीयात को बेचने का अधिकार नहीं है। वह केवल अपना [illegible] ही बेच सकता है। कुल रकबे में से वादी संख्या तीन [illegible] भूमि को छोड़कर हिस्सा किया जावे। [illegible] सफेदी को विवाह के साथ पृथक से दी गई [illegible] करते हुए खाता संख्या 148 की सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी संख्या तीन के [illegible] अनीन पुत्र रूपलाल अथवा किसी अन्य को बेचने पर उतारू है, जिसका उसे कोई हक हासिल नहीं है, जबकि वादीगणों को हक हासिल है कि वे प्रतिवादी संख्या एक को जरिये स्थायी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

निषेधाज्ञा से पाबंद करावे कि वह ग्राम गर्जीसिहपुरा के खाता संख्या 148 की भूमि को रहन बेचान नहीं करे। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एक ही परिवार के सदस्य होने एवं गर्जीसिहपुरा तहसील नीम का थाना की पैतृक सम्पत्ति खाता संख्या 148 में 1/9-1/9 के हिस्सेदार होने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बेचान की इच्छा होने के कारण स्थगन करने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.07.2022 को वादीगणों को उनका हिस्सा देने से इंकार कर सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति को बेचने का ऐलान करने पर वाद उत्पन्न हुआ। प्रकरण प्राईमाफेसी एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिये उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि ग्राम गर्जीसिहपुरा तहसील नीम का थाना के खाता संख्या 148 में पैतृक सम्पत्ति होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का 1/9-1/9 हिस्सा होने के कारण अप्रार्थी 1 प्रार्थीगण के स्वतंत्र उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा अवरोध मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे तथा विवादित सम्पत्ति को किसी अन्य को रहन बेचान या मुन्तकिल नहीं करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया गया।

3. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने न्यायालय में जवाब पेश किया है कि प्रार्थना पत्र में जो सजरा खानदान अंकित किया है, उसमें अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को एक ही परिवार के सदस्य बताया है, जो पूर्णतया गलत है। सत्यता यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के पिता है व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 प्रार्थीगण की सगी बहिने हैं। प्रार्थना पत्र के मद न. 2 में अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 4 को ही सगी बहिने बताया गया है। जबकि प्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 व अप्रार्थीगण सं. 2 लगायत 4 सगी कुल आठ सगी बहिने हैं एवं सभी शादीशुदा हैं इन आठ बहिनों के कोई सगा भाई नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र का मद न.2 जिस तरह लिखा गया है। स्वीकार नहीं है। अनिता थोड़ा सा तुतलाकर बोलती है और सावन्ती के हाथ बिल्कुल सही है एवं दोनों अपने ससुराल में रहकर काश्त व घरेलू कार्य आराम से कर रही है। इन्हें किसी भी प्रकार की भूमि विवाद के सम्बंध नहीं दी गई है। यह तथ्य मनगढ़ंत व झूठा अंकित किया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति वर्ग की मीणा जनजाति के है, एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होकर इस जनजाति की रुढ़ि व परम्पराएं लागू होती है। अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी पुत्री गुड्डी के पुत्र अमीन को बचपन में ही गोद लेकर अपने पास रखकर अप्रार्थी सं. 1 व अप्रार्थी सं. 1 की पत्नि केला ने दत्तक पुत्र का पालन-पोषण किया है और दिनांक 19.07.2022 को इसका गोदनामा भी रजिस्टर्ड करवा दिया था। अप्रार्थी सं. 1 ने अपनी पुत्री गुड्डी के पुत्र अमीन को बचपन में ही गोद लेकर अपने पास रखकर पाला पोषा है। और दिनांक 19.07.2022 को इसका [illegible] था। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होते हुए भी प्रार्थना पत्र [illegible] का तथ्य छिपाया गया है। प्रार्थना पत्र का मद नम्बर [illegible] 149 की आराजी में से अपना हिस्सा 1/[illegible] घोषणा प्राप्त करने का हक हासिल है, विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से स्वीकार्य नहीं है।

प्रार्थना पत्र के दोनों पक्षों के सदस्य (अप्रार्थी संख्या 5 को छोड़कर) पिता व पुत्रियाँ है और अनुसूचित जनजाति के सदस्य है। प्रार्थीगण ने उनके प्रार्थना पत्र के मद न. 8 में अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उसकी पुत्री गुड्डी देवी के पुत्र अमीन को गोद लेने का विवरण भी अंकित कराया है। इसके बावजूद सामान्य वर्ग की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तरह अप्रार्थीगण ने अपने पिता के जीवनकाल में ही पिता की सम्पति में हक व अधिकार स्थापित करने व बंटवारा कराने की रिलीफ एकदम कानूनी प्रावधानों के विरुद्ध है। अनुसूचित जनजाति में दत्तक पुत्र पिता की सम्पति का अधिकारी है। पुत्रियों को उनके पिता की सम्पत्ति में अधिकार नहीं होता है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने अपने आपको अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य होने का तथ्य जानबूझकर छिपाया है जबकि यह खुला तथ्य है। अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 लागू न होकर रुढि व परम्पराएं लागू होती है। इसकी पुष्टि में कृपया उक्त एक्ट की धारा 2 की उपधारा 2 का अवलोकन से होती है। प्रार्थीगण ने अपने जीवित पिता की कृषि भूमि में से हिस्सा लेने के आशय से ही प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि प्रार्थनीगण को जीवित पिता अथवा पिता के मरणोपरांत भी कोई अधिकार नहीं बनता वर्तमान में अप्रार्थी सं. 1 स्वयं ही जीवित है। एवं उसके बाद उसकी पत्नि केला व दत्तक पुत्र अमीन का अधिकार है जो भी वर्तमान में जीवित है यदि प्रार्थीगण को पंजीकृत गोदनामा के संबंध में आपत्ति है तो उस आपत्ति के लिये सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये। अप्रार्थी संख्या 1 की जीवित अवस्था में उसकी सम्पत्ति पर किसी भी वारिसान द्वारा किसी भी प्रकार का हक दायर नहीं किया जा सकता है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई। उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब में अंकित तथ्यों का दोहरान किया।

5. मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजी पैतृक बतलाते हुए अपने पिता के जीवनकाल में अपने हिस्से की घोषणा हेतु वाद दायर किया है। यह तथ्य अविवादित है कि प्रार्थीया व उसके पिता मीना जाति से हैं, जो अनुसूचित जनजाति है। यह भी अविवादित है कि प्रार्थीया के पिता श्रीया के कोई जाइंदा पुत्र नहीं है। प्रार्थना पत्र में ही श्रीया द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 गुड्डी देवी के छोटे पुत्र को गोद लेने की कागजी कार्यवाही किया जाना बताया है। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब में श्रीया द्वारा गुड्डी के पुत्र अमीन को बचपन में ही गोद लेना बताया है। मेरी विनम्र राय में अनुसूचित जनजाति पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। मीना जाति (अनुसूचित जनजाति) की प्रथाओं और सामाजिक रिती रिवाजों के अनुसार क्या पुत्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार है एवं क्या पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता के जीवनकाल में पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से की घोषणा कराने का अधिकार प्राप्त है, इन बिन्दुओं पर निष्कर्ष विचारण में साक्ष्य के बाद ही संभव है। अतः प्रार्थीया के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाया गया है। प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में सुविधा का संतुलन या अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं पर विवेचन आवश्यक नहीं है।

6. उक्त विवेचन के आधार पर मैं अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं समझता हूं।

—:आदेश:—

Signature Not Verified

प्रार्थीगणों का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र ... जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.12.2024 को ... होकर नंबर से कम हो एवं बाद ...

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.01.22 15:59:56 IST
Reason: SelfAttested

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा